न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः—15/2021(जीसीएमएस नम्बर 2021/107)

1. हुकम चन्द मीना पुत्र श्री रामसिंह, जाति मीना, उम्र करीब 52 साल, निवासी गंगा मंदिर के पास गोविन्दगढ़, तहसील गोविन्दगढ़, जिला अलवर, राजस्थान।

——**अपीलान्ट**

बनाम

1. नवल किशोर पुत्र श्री रामसिंह, जाति मीना उम्र करीब 54 साल, निवासी गंगा मंदिर के पास, गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर, राजस्थान।
2. ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गोविन्दगढ, तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर, राजस्थान।
3. सब रजिस्ट्रार, गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर, राजस्थान।

——**असल रेस्पोडेन्ट्स**

1. छोटी उर्फ धनबाई पुत्री श्री रामसिंह स्त्री रामस्वरूप, जाति मीना उम्र करीब 44 साल, निवासी गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर, राजसथान।
2. रज्जों पुत्री श्री रामसिंह स्त्री बाबूलाल, जाति मीना उम्र करीब 42 साल निवासी ग्राम हरिपुराश, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर, राजस्थान।
3. गणगौरी पुत्र श्री रामसिंह स्त्री रामस्वरूप, जाति मीना निवासी ग्राम जावली, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर, राजस्थान।
4. ज्ञान प्रकाश पुत्र श्री रामसिंह जाति मीना निवासी गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर, राजसथान।
   4/1. छोटी पत्नी स्व. ज्ञानप्रकाश,
   4/2. रामा पुत्री स्व. ज्ञानप्रकाश,
   4/3. योगेश पुत्र स्व. ज्ञानप्रकाश,
   4/4. हितेश पुत्र स्व. ज्ञानप्रकाश निवासी गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर, राजस्थान।
5. लालाराम पुत्र स्व. हरिकिशन पौत्र जाति मीना,
6. आनन्द मोहन पुत्र स्व. हरिकिशन पौत्र, जाति मीना,
7. गोविन्द पुत्र स्व. हरिकिशन पौत्र जाति मीना,
8. यशराज पुत्र स्व. हरिकिशन पौत्र जाति मीना नाबालिंग जरिये सरपरस्त माता मल्ली बेवा हरिकिशन,
9. मल्ली बेवा स्व. हरिकिशन, जाति मीना हाल निवासीयान अम्बेडकर कॉलोनी अलवर, राजस्थान

——**तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स**

उपस्थितिः—

1. **श्री अजय कुमार गोयल एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री नवल किशोर एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं की ओर से एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 4/1, 4/3, 4/5 की ओर से**

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक 22.04.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2019 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहरात हुए कथन किया है कि रामसिह मीना जो कि अपीलान्ट, असल रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 के पिता/ससूर/दादा थे, की मृत्यु दिनांक 30.04.2015 को हो गई जिसके पश्चात् उनका विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1458 दिनांक 21.12.2015 ग्राम पंचायत गोविन्दगढ द्वारा रामसिंह के तीन जीवित पुत्र हुक्मचन्द 1/8 भाग, नवलकिशोर 1/8 भाग, ज्ञानप्रकाश 1/8 भाग एवं एक मृतक पुत्र हरिकिशन के विधिक वारिसान उसकी पत्नी मल्ली व तीन संताने आनन्द मोहन, गोविन्द एवं यशराज के हक में 1/8 भाग एवं रामसिंह की तीन जीवित पुत्रीयॉ छोटी उर्फ धनबाई 1/8 भाग, रज्जों 1/8 भाग व गणगौरी 1/8 भाग व रामसिंह की बेवा चुन्नोदेवी के हक में 1/8 भाग को विधि अनुसार खोला गया। उन्होने आगे कथन किया है कि असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत गोविन्दगढ द्वारा रामसिंह की मृत्यु पश्चात् स्वीकृत किये गये विरासत के नामान्तकरण संख्या 1458 दिनांक 21.12.2015 को मिथ्या तथ्यों व आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ के यहॉ एक राजस्व अपील संख्या 12/04/2017 बउनवान नवल किशोर बनाम छोटी उर्फ धनबाई वगैर पेश कर चुनौती दी गई जिस अपील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों की अनदेखी करते हुऐ स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 1458 दिनांक 21.12.2015 का निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये, जो आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया कि अनुसूचित जनजाति के रीति–रिवाजो एवं परम्पराओं के अनुसार पुत्रीयों को पुत्र समान अधिकार प्रदान किये जाते है तथा विवाहित पुत्रीयों का भी अपने पिता की जायदाद में समान रूप से हक अधिकार होता है जिस कारण व आधार पर ही ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ द्वारा अपीलान्ट के पिता रामसिंह की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1458 दिनांक 21.12.2015 सही रूप से स्वीकार किया गया था जिन तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय लक्ष्मणगढ़ द्वारा समुचित गौर ना करते हुऐ असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के झूठे तथ्यों को ही सही होना मानते हुऐ अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.05.2019 पारित किया गया है, जो उक्त निर्णय विधि विरूद्ध होने से अपास्त फरमाये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि रामसिंह पुत्र हीरालाल मीना की बेवा चुन्नो देवी एवं एक पुत्री छोटी उर्फ धनबाई द्वारा ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ द्वारा खोले गये रामसिंह की विरासत के नामान्तरकरण संख्या 1458 के आधार पर अपीलान्ट जो कि उनका सगा पुत्र/भाई है, के हक में हकत्याग पत्र दिनांक 07.01.2016 विधिवत तहरीर व तकमील किया जाकर उप पंजीयक कार्यालय गोविन्दगढ यहॉ पंजीबद्ध करवाया

P.T.O.

गया है जो दस्तावेज उक्त कार्यालय की पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 244 पृष्ठ संख्या 100 क्रम संख्या 22 पर पंजीबद्ध किया गया है जिसकी एक प्रति अतिरिक्त जिल्द संख्या 297 के पृष्ठ संख्या 88 से 91 पर चस्पा की गई है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट के हक में उसकी माता/बहन क्रमशः श्रीमती चुन्नो देवी बेवा रामसिह एवं छोटी उर्फ धनबाई पुत्री स्व. रामसिंह द्वारा अपने-अपने 1/8, 1/8 हिस्से की बाबत हकत्याग पत्र दिनांक 07.01.2016 को विधिवत निष्पादित कर पंजीबद्ध कराऐ जाने के उपरान्त अपीलान्ट का अपने पिता रामसिंह की आराजी में 3/8 हक व हिस्सा निहित हो गया था तथा अपीलान्ट तभी से रामसिह की आराजी के 3/8 हिस्से पर बेहैसियत मालिक काबिज होकर काश्त कर रहा है जिसकी बखूबी जानकारी रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व अन्य को प्रारम्भ से ही है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के उक्त सभी वास्तविक तथ्यों को बिना समझे व बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2019 पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2019 को अपास्त फरमाया जावें एवं ग्राम पंचायत गोविन्दगढ जिला अलवर द्वारा रामसिंह पुत्र हीरालाल मीना का जो विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1458 दिनांक 21.12.2015 को स्वीकृत किया गया है, को यथावत रखा जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट व असल रेस्पोडेन्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट एक ही परिवार के व्यक्ति है तथा उनके पूर्वज भूमि विवादग्रस्त के मृतक खातेदार रामसिह पुत्र हीरालाल मीना थे जिनके चार पुत्र तीन पुत्रीयॉ थे जिनमें से एक पुत्र हरिकिशन की मृत्यु हो चुकी है। उन्होने आगे कथन किया है कि भूमि विवादग्रस्त के खातेदार रामसिंह की मृत्यु होने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक वारिस के नाम 1/8 भाग अनुसार तस्दीक कर दिया जो कि कानूनन गलत होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत की गई थी। उन्होने यह भी कथन किया है कि पक्षकारान जाति से मीना है जो जनजाति है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है, पुराना हिन्दू उत्तराधिकार कानून लागू होता है, के अनुसार मीना जाति में पैतृक सम्पत्ति में लड़कियों का कोई अधिकार नही होता है, विधवा का अधिकार दिया गया है, उसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध तौर पर मृतक खातेदार की लड़कियों के हक में भी नामान्तरकरण संख्या 1458 स्वीकार किया गया है, जो गलत होने से निरस्तनीय ही था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण का निर्णय करते समय रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया तथा ग्राम पंचायत ने तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 से साजबाज होकर उनके हक में 3/8 भाग मुताबिक नामान्तरकरण कर दिया जो गलत होने से खारिज योग्य ही था। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही

अतिरिक्त जिला आयुक्त
जयपुर

गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.05.2019 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें। उन्होने अपनी बहस के समर्थन में नजीरें आरआरडी 2006 पेज 465 व पेज 577, आरआरडी 2012 पेज 413, आरआरडी 1988 पेज 61, आरआरडी 2011 पेज 450, एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच एसबी सिविल रिट पीटीशन संख्या 7871/2014 उनवान तीजो बाई व अन्य बनाम द्वारका बाई व अन्य के निर्णय दिनांक 20.01.2017, व माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील संख्या 6901/2022 उनवान कमला नेती बनाम स्पेशल लैण्ड एक्यूजीशन अधिकारी के निर्णय दिनांक 09.12.2022 की छाया प्रति पेश की गई।

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उक्तानुसार प्रस्तुत नजीरों के आलोक में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.05.2019 में कोई विधिक त्रुटि नजर नही आती है।

अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मगणगढ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2019 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।